18.05 hrs.

APPROPRIATION (NO. 2) BILL*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : With your permission, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83.

MR. SPEAKER : The Question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, I introduce** the Bill.

I bed to move **:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83, be taken into consideration."

MR. SPEAKER : Motion moved :

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83, be taken into consideration."

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में जो अधिकारियों का रवैया है, इनको मखौल बनाने का उसके कारण परीक्षार्थियों को कितनी कठिनाई होती है और उससे परीक्षाओं के प्रति जो विश्वसनीयता घटती है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को आप लें। कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूरक परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। लेकिन होता क्या है? एक आदमी एक दफा परीक्षा पास कर लेता है तो उसकी योग्यता के बारे में तो हमें आश्वस्त हो जाना चाहिये। लेकिन मुख्य परीक्षा में वह सफल हो जाता है तो दूसरी दफा उसको फिर पूरक परीक्षा में बैठने को बाध्य होना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि जब उसकी योग्यता की परीक्षा एक दफा हो गई तो बार-बार परीक्षा देने के लिए उसको क्यों बाध्य किया जाता है। इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बिहार, यू० पी०, राजस्थान आदि राज्यों में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को तो लगता है बिल्कुल ही मखौल बना दिया गया है। बार-बार परीक्षाओं की तिथि को स्थगित किया जाता है। इससे परीक्षार्थियों की परेशानी बढ़ती है। बिहार में तो प्रवेश शुल्क माफ करके वाह वाही लूट ली गई लेकिन परीक्षार्थियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। बार-बार परीक्षाओं की तिथि को बदला गया। अन्त में ऐसा हुआ कि प्रवेश तक उनको नहीं मिला। अखबारों में छाप दिया गया कि जिन लोगों ने एप्लाई किया है वे सभी लोग परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन बिना प्रवेश पत्र

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II Section 2 dated 21-4-82.

**Introduce/Moved with the recommendation of the President.

के कौन सम्मिलित हो सकता था ? इस पर कहा गया कि उनको अपने यहां के राज पत्रित कर्मचारी से चरित्र एटेस्ट करवा कर प्रवेश पत्र ले लेना चाहिये। इस में दिक्कत यह हुई कि परीक्षार्थियों को राज पत्रित कर्मचारियों के पीछे अपना फोटो एटेस्ट करवाने के लिए घूमना पड़ा और उनको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा—(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेहता जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : बिहार और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय परीक्षाओं में कदाचार के लिए बदनाम हैं। इसमे हमेशा मेधावी छात्रों को हानि होती है। कदाचार को रोकने के लिए जितने भी आज तक उपाय किए गए हैं उनका कोई फल नहीं निकला है। इसका नतीजा यह निकला है कि जो विद्यार्थी पहुँच वाले होते हैं, जिनकी पहुँच ऊंचे स्थानों पर पदासीन व्यक्तियों तक होती है वे हमेशा लाभान्वित हुए और अच्छे अंक ले गए।

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नामांकन के नियम बदले जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। वहां पर प्रवेश के लिए खासकर पिछड़े इलाके के, पिछड़े तबके के छात्रों को छूट मिलती थी, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि यह नियम स्थगित किया जा रहा है। मैं इसका विरोध इसलिए करता हूँ कि आज जब पिछड़ों को आगे लाने की सारी कोशिशें चल रहीं हैं, प्रयास हो रहे हैं तो जो छूट उसमें उनको मिली हुई थी, उस छूट को स्थगित करने का प्रस्ताव किसी भी मायने में जायज नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव को समाप्त ही किया जाना चाहिए।

मैं उत्तर बिहार के कृषि प्रधान इलाके से आता हूं। वहां पर छोटे या बड़े, किसी भी प्रकार के उद्योग को लगाने में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पर कृषि-आधारित उद्योग लगाने में पहल करे, जिससे वहां के लोगों का जीवन-स्थर ऊंचा उठ सके तथा रोजगार के अधिक अवसर उनको मिल सकें। समस्तीपुर में जो ग्रेफाइट फैक्टरी खोलने का प्रस्ताव था, योजना थी, उसको भी स्थगित नहीं किया जाये बल्कि उस पर ठीक से व्यवहार किया जाये और यथाशीघ्र वहां ग्रेफाइट फैक्टरी की स्थापना की जाये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले गृहमंत्री जी का ध्यान स्वतंत्रता सेनानियों की ओर खींचना चाहता हूँ। मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों की बात करना चाहता हूँ जो संसद्-सदस्य हो चुके (भूतपूर्व) हैं। उनको भी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलनी चाहिये, इस बात की व्यवस्था आप इसी सैशन में कर दीजिये।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : जो अब हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सुनिये तो सही।

भूतपूर्व संसद्-सदस्यों को जो 300 रुपये से 500 रुपये तक की पेंशन की राशि मिलती है, मेरा निवेदन यह है कि महंगाई को देखते हुए उसको कम-से-कम 700 रुपये जरूर कर दिया जाये।

फरार स्वतंत्रता सेनानियों के सम्बन्ध में आप ने 3 मार्च को अतारांकित प्रश्न संख्या 1767 के जवाब में यह बताया था कि उस

[श्री रामावतार शास्त्री]

समय तक 4,01,710 दरख्वास्तें आपके यहां आ चुकी थीं और 38 लोगों को आपने स्वीकृति दी थी। आज 21 तारीख को फिर मैंने सवाल पूछा कि 31 मार्च जो आखिरी तिथि थी, उस समय तक आपके यहां कुल कितनी दरख्वास्तें आई हैं ? जवाब में कहा गया है कि 1,74,896 और मिली कितनों को, यह 50 बताया है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि पहले वाली फिगर ठीक है या दूसरी ठीक है। संख्या को बढ़ना चाहिये था। अगर बढ़ती नहीं भी तो घट कैसे गई ? इसका मतलब है कि आपके अधिकारियों ने पूरी संसद् की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की है, उन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। इन दोनों आंकड़ों में कौन सा सही है ? मंत्री महोदय डायरेक्शन 115 के तहत इस त्रुटि को सुधारें, वर्ना यह एक मजाक होगा। आखिर 4 लाख पौने दो लाख कैसे हो गया ? यह संख्या कम कैसे हो गई ? मैं इस डिसक्रिपेंसी की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं। इस से हमारे सदन की प्रतिष्ठा पर आंच आती है। क्लर्क लोगों ने लिख कर दे दिया और मंत्री महोदय ने सुना दिया।

आप जानते हैं कि पूरे देश में स्कूलों, कालेजों और यूनिवर्सिटियों के अध्यापकों में भयंकर असन्तोष है। इसका इजहार करने के लिए कल पूरे हिन्दुस्तान के टीचर लोग आल इण्डिया फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्ज आर्गनाइजेशन की तरफ से आए थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री को अपना 9 सूत्री मांग पत्र भी दिया था। बहुत दिनों से उनका आन्दोलन चल रहा है कि पे रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि महंगाई दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त स्कूल कालेजों के प्राइवेट मैनेजमेंट को खत्म करना चाहिए। उनके 9 सूत्री मांग पत्र में सारी बातें हैं। आप जानते हैं कि बिहार में 16 हजार कालेज और विश्वविद्यालय के टीचर्ज 12 अप्रैल से अपनी 31-सूत्री मांगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं। सरकार बात करने को कहती है, लेकिन उसके मंत्री समय पर नहीं आते। कोई बीच बचाव नहीं हो रहा है। परेशानी बढ़ रही है। कल 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक फर्स्ट फेज में सारे प्रोफेसर्ज "जेल भरो" आन्दोलन करने जा रहे हैं। भारत सरकार और शिक्षा मंत्री को अध्यापकों की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे हमारी वर्तमान और भावी सन्तान को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने वाले हैं। अगर उनमें असन्तोष रहेगा, तो काम नहीं चलेगा।

मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जन-गणना का काम 1981 में हो चुका है। प्रायः सभी शहरों की आबादी बढ़ गई है। पटना की आबादी के बारे में मैं कह सकता हूं कि वह 4 लाख से बढ़ कर 8 लाख से ज्यादा हो गई है। मगर सरकार ने सिटीज को फिर से अप-ग्रेड नहीं किया है। मंत्री महोदय बार-बार कहते रहे हैं कि जन-गणना की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। पटना समेत बहुत से सिटीज हैं, जिनमें से किसी को बी-2 से बी-ए में आना चाहिए, कोई सी से बी होना चाहिए। इस बारे में माप-दण्ड तय कर दिया गया है। सरकार इस बारे में ढिलाई कर रही है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों में भयंकर असन्तोष है।

इस सदन में आवास मंत्रालय की मांगों पर बहस नहीं हुई है। मैं आवास मंत्री का ध्यान गन्दी बस्ती सफाई योजना की तरफ

खींचना चाहता हूं। बड़े-बड़े शहरों में यह योजना चलती है। लेकिन शहरों की स्थिति क्या है? मंत्री महोदय पटना जरूर जाते होंगे। वहा की स्थिति गतरे-बूद है। क्या वह राजधानी के लायक कोई शहर है? सब तरफ गन्दगी है। पीने का पानी नहीं मिल रहा है। गर्मी के मौसम में औरतें घड़े ले कर चारों तरफ घूम रही हैं। गन्दी बस्तियों की सफाई और शहरों और देहात में पीने के पानी का बन्दोबस्त होना चाहिए।

सिंचाई मंत्रालय की मांगों पर भी बहस नहीं हुई है। हमारे यहां सोन कैनाल के रीमाडलिंग का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने एक सवाल के जवाब में बताया है कि रीमाडलिंग एण्ड मार्डनाइजेशन ग्राफ दुर्गावती कैनाल सिस्टम (रोहतास) पर 1246 लाख रुपये खर्च होंगे और उससे 17.57 हजार हैक्टेयर की सिंचाई होगी। कर्मनासा कैनाल रीमाडलिंग स्कीम (रोहतास) पर 704 लाख रुपये खर्च होंगे। मार्डनाइजेशन ग्राफ सोन कैनाल (शाहाबाद, पटना और रोहतास) 25244 लाख रुपये की योजना है, सब से बड़ी योजना यही है, इस से 443 00 हजार हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। रीमाडलिंग ग्राफ कांची इर्रीगेशन स्कीम, रांची, इस पर 375.37 लाख रुपये खर्च होंगे और 16.19 हजार हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। इन के ऊपर भी आप को ध्यान देना चाहिए ताकि ये योजनाएं चालू हो सकें। बिहार की सरकार दीर्घसूत्री बन जाय तो आप को दीर्घसूत्री नहीं बनना चाहिए। वहां की सरकार से आप ने कुछ मांगा है, अगर वह अपनी योजना जल्दी नहीं देते हैं तो उनको खोद कर जगाइए।

ठीक इसी तरह से पुनपुन योजना है, उसके बारे में बता दूं। वह भी बाढ़ और सिंचाई की योजना है। 165.46 लाख रुपये की योजना है। इस को अगर आप चालू कर देगें तो कई जिलों की, पटना, गया, नालन्दा, औरंगाबाद आदि की सिंचाई भी होगी और बाढ़ से रक्षा भी होगी। इन की तरफ आप को जल्दी ध्यान देना चाहिए। आपने तो अपना काम कर दिया लेकिन बिहार सरकार इस पर कुंडली मार कर बैठी हुई है, उसकी कुण्डली को तोड़ना होगा और इन योजनाओं को पूरा करके सिंचाई की जो वहां दिक्कत है उसको दूर करना होगा।

आखिरी बात कह दूं। फतुहा, मोकामा वरहिया ताल योजना बहुत बड़ी योजना है। अगर इसको आप बना लीजिए तो यह ग्रेनरी है। अन्न का भण्डार वहां से इकट्ठा हो सकता है। आप पूरे बिहार को दाल दे सकते हैं, दलहन वहां पैदा होता है, तिलहन पैदा होता है, चना और गेहूं पैदा होता है। उस योजना को भी आप बना लें। अभी बिहार विधान परिषद् में उस पर दो घण्टे तक बहस हुई। तो इस योजना की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। यही मुझे कहना है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : A number of points have been mentioned mainly addressed to the Ministries of Education, Irrigation, Home Affairs and Works and Housing. Of course, one point relating to the Ministry of Finance was raised by Hon. Member Shri Ramavatar Shastri, and I will answer that first. As the Hon. Member knows, the figures which have been made available are still provisional figures and tabulations are going on to get the final figures. In reply to an Unstarred Question by

[Shri Pranab Mukherjee]

Mr. Halder, this position was explained on the floor of the House on 16th April. When the final figures will be made available, in regard to the eligibility of the cities to be graded accordingly, Government will then take a decision.

In regard to freedom fighters' pension, particularly those Members who were participants in the freedom struggle, certain decisions are being contemplated, but I do not know whether it will be possible to introduce the necessary legislation in the current Session of the House....

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Why not ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Because the time is not there. You know how we are running against time. Obviously, a decision will be taken shortly and it will be communicated to the Hon. Members.

In regard to the suggestions made about other Ministries, I think, some of the Hon. Ministers are present here, and they have noted the suggestions made.

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : We shall now take up the Clauses.

The question is :

"That Clauses 2, 3 and 4 and the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2, 3 and 4 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

18.25 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TWENTY-NINTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH) : I beg to present the 29th Report of the Business Advisory Committee.

PAPER LAID ON THE TABLE —*Contd.*

NOTIFICATION UNDER CENTRAL EXCISE RULES, 1944

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. G.S.R. 327(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 21st April, 1982 together with an explanatory Memorandum regarding incentive by way of Central Excise Duty rebate for excess production of sugar during May-September, 1982, issued under the Central Excise Rules. 1944. [Placed in Library *See* No. LT-3975/82].

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 22, 1982/Vaisakha 2, 1904 (Saka).